न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
041/2018 **(GCMS 2018/00212)**	**17.05.2018**	**11.08.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. शंकरसिंह राठौड पुत्र विजय सिंह राठौड, उम्र 29 वर्ष जाति राजपूत विक्रेता
   मैसर्स श्रीनाथ फूड, 37 प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थाई पता गांव पोस्ट निम्बाहेडा जाटान, वार्ड नंबर 02 रेगर मौहल्ला, तहसील राजाजी का करेडा, जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. मुकेश कुमार हेडा पुत्र राधेश्याम हेडा, मालिक
   मैसर्स श्रीनाथ फूड, 37 प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई पता 3, 4 जवाहर नगर, चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.05.2017 को कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाये जोन उदयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **H/PFA/Notification/2011/727 Dated 29-11-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एच/एफएसएसए/(एफ–28) /नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार इन्हे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य हेतु कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें जोन उदयपुर आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2012/37 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार उदयपुर जोन के अन्तर्गत आने वाले जिलों के समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। दिनांक 18.05.2017 को समय 03.00 पी.एम. पर आवदेक बाहैसियत आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जांच हेतु नमूनीकरण बैग व सामान सहित श्रीनाथ फूड, 37 प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ पर पहुँचें। विक्रेता को परिचय पत्र दिखाते हुये परिचय देकर उससे नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम शंकर सिंह पुत्र विजय सिंह राठौड उम्र 29 वर्ष जाति राजपूत होना बतलाया तथा मुकेश कुमार हेडा को फर्म का मालिक होना बतलाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन वर्ष 2017 का दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन वर्ष 2017 का प्रस्तु प्रस्तुत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर एक डी फ्रिज में आईसक्रीम **(Habtiz)** के चार पैकेट जिन पर **Weight/Volime 2.1 Kg/4 Ltr.** अंकित था। सील बंद स्थिति में आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये। उपरोक्त आईसक्रीम **(Habtiz)** के जार में एक सील बन्द पैकेट जिस **Weight/Volime 2.1 Kg/4 Ltr.** अंकित था को निकाल कर निरीक्षण किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसमें सबस्टेण्डर्ड, अनसेफ एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर, विक्रेता को गवाहन की उपस्थिति में फार्म न. 5 ए देकर सुचित किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उक्त आइसक्रीम (**Habtiz**) का नमूना वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 के अन्तर्गत ले रहे हैं। विक्रेता एवं गवाहन के सामने उक्त सील बन्द पैकेट को खोल कर एक साफ सुखें, स्वच्छ स्कूप की सहायता से अच्छी तरह से मिलाकार 1200 ग्राम आइसक्रीम (**Habtiz**) एक साफ–सूखी खाली स्टील की भगोनी मे खरीदी तथा इसकी कीमत 150.00 रूपये विक्रेता को नगद चुकाकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवायें एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, माल खरीद रसीद मूल प्रति संलग्न न्याय निर्णयन आइसक्रीम (**Habtiz**) को सामान्य तापक्रप तक आने के बाद उक्त स्कूप की सहायता से अच्छी तरह से मिलाकर एक रूप करके अब इस खरीद सुदा आइसक्रीम (**Habtiz**) को काँच की चार साफ सूखे व खाली जारों में बराबर–बराबर मात्रा में (प्रत्येक जार में करीब 300 ग्राम) भरकर प्रत्येक जार में फार्मेलिन की 36 बूंद डालकर इनका मूंह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाइट बंद किया। अब इन चारों नमूना जारों पर लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) के कोड व सिरीयल न.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एएफ–949, नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की दिनांक व स्थान, किस वस्तु का नमूना लिया, आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहन हस्ताक्षर करा व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार को मोटे व मजबूत कागज में लपेटकर, कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप संख्या एएफ–949, प्रत्येक नमूना जार के फंदे से शीर्ष तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांधकर, चार जगह चपड़ी से, एक सील प्रत्येक नमूना जार के मुँह पर, एक सील प्रत्येक नमूना जार के पेंदे पर तथा दो सील प्रत्येक नमूना जार की बॉडी पर, जहाँ धागे की गांठ लगाई थी, लगाकर नियमानुसार सील बन्द किया। चारों सील बन्द नमूना जार पर विक्रेता के इस प्रकार हस्ताक्षर करवायें जो आधे पेपर स्लिप व आधे रेपर पर हैं, गवाहन के हस्ताक्षर करवायें। प्रत्येक सील बन्द नमूना जार पर नमूना नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार चारों सील बन्द नमूना जार को (नमूना भागों) को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जाप्ते में किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता तथा गवाहन को पढाकर, सुनाकर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या–5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए व फर्द रिपोर्ट मूल ही न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलान है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना जार सील बन्द की थी। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला) उदयपुर को जमा करवा कर फॉर्म न. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की, जो मूल ही संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं। फार्म न. 6 की एक प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला) उदयपुर को जमा करा कर इसकी रसीद प्राप्त को जो मूल ही संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 को दो प्रतियों के आउट कवर में सील बन्द कर तथा नमूनें का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐ, जोन उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं। आवेदक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जोन उदयपुर के पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/1155 दिनांक 27.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल एस 280/act/2017/287 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया आइसक्रीम (**Habtiz**) तय मानक के अनुसार नहीं पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम– 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया हैं। उक्त पत्रांक एव जांच रिपोर्ट की मूल प्रति संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जोन उदयपुर के पत्राक जोन/एफएसएसए/2017/1154 दिनांक 27.06.2017 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु नोटिस दिया गया जिसकी पृष्टांकित प्रति, रजिस्ट्री की मूल रसीद सहित एवं उक्त लिफाफा मूल ही पुनः इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जो संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं। विक्रेता को पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1510 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु नोटिस दिया गया जिसकी पृष्टांकित प्रति, रजिस्ट्री की मूल रसीद सहित एवं उक्त लिफाफा मूल ही पुनः इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जो संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं एवं उक्त पंत्राक द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को उक्त नोटिस विक्रेता को तामिल करवाने हेतु लिखा जिसके क्रम में उनके द्वारा फर्म मालिक को नोटिस तामिल करवा रसीद इस कार्यालय को प्रस्तुत की जो संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं। विक्रेता ने मौके पर स्वयं का आधार कार्ड एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की फाटो प्रति प्रस्तुत की जो संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं। पत्र क्रमांक 1497 दिनांक 12.092.017 द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु विक्रेता को पत्र लिखा उक्त दोनों पत्र पुनः इस कार्यालय को मूल लिफाफे सहित प्राप्त हुऐं जो संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं। पत्र क्रमांक 1925 दिनांक 13.11.2017 द्वारा फर्म मालिक को सूचना हेतु पत्र लिखा जिसके प्रति उत्तर मे विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की फोटो प्रति जीएसटी **REG** एवं इनवाईस नम्बर 289 की फोटो प्रति संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन हैं। पत्र क्रमांक 234 दिनांक 29.01.2018 द्वारा फर्म मालिक को लिखे पत्र की प्रति एवं इसको प्रति उत्तर मे फर्म मालिक द्वारा प्राप्त पत्र संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजो की मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जौन उदयपुर को दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.04.2018 को प्रस्तुत की। अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें जोन उदयपुर ने पत्र कमांक जोन/एफएसएसए/2018/780 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.04.2018 को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 343 दिनांक 16.04.2018 द्वारा आदेशो की प्रतिक्षा में मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में किया गया तथा इस के बाद आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 444 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा मेरा पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा के अधीन किया गया तथा आदेश क्रमाक 448 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षाा अधिकारी को आदेशो की प्रतिक्षा में (एपीओ) मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर से कार्य मुक्त कर उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा के अधीन देने का निर्देशित किया गया कि अनुपालना में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.05.2018 को दोपहर पूर्व को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा के अधीन कार्य ग्रहण किया आदेश संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन हैं। उक्त प्रकरण मे सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ आइसक्रीम (**Habtiz**) का विक्रय करके क्रम संख्या 1 से 2 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लघंन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराध हैं तथा क्रम संख्या 1 व 2 ने उक्त खाद्य पदार्थ आइसक्रीम (**Habtiz**) किस निर्माता एवं डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त किया है का बिल अथवा वारन्टी पेश नहीं करके धारा 27(3)(क) का उल्लघंन किया है जो क्रमशः धारा 51 एवं धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराध हैं। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्यायनिर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर निवीस ग्राम पोस्ट पाटन जिला सीकर (राज0), गवाह संख्या 2 डूंगरसिंह चूण्डावत पुत्र उदयसिंह उम्र 20 वर्ष **R/O** गांव पोस्ट अरनिया खालसा, कुडी मौहल्ला तहसील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहाडया जिला भीलवाडा (राज0) मोबाईल नम्बर 9521098836 (मौके के गवाह), गवाह संख्या 3 देवेन्द्रसिंह (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) पुत्र भगवतसिंह राणावत उम्र 42 वर्ष **R/O G** 24 जैन मन्दिर वाली गली सुभाष नगर भीलवाडा (राज0) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (मौके के गवाह), गवाह संख्या 4 पंकज कुमार, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर (नमूना जांचकर्त्ता) मोबाईल नंबर 9352002483 एवं गवाह संख्या 5 डॉ0 मंजू अग्रवाल, अभिहित अधिकारी संभागीय स्तरीय एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर (न्याय निर्णयन आवेदन हेतु अधिकृत करने बाबत) पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 12.12.2019 को अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता पूरण मेनारिया हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

दिनांक 11.08.2019 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया। इस पर हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना गया। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर मौके से किसी भी प्रकार का कोई नमूना नहीं लिये जाने का निवेदन किया एवं प्रकरण में आवेदक द्वारा की गई कार्यवाही को किसी भी प्रकार से मौके पर नहीं होने का निवेदन किया एवं प्रकरण में आवेदक द्वारा कार्यवाही मौके पर नहीं किये जाने से प्रकरण खारीज योग्य होने के निवेदन के साथ ही अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली को आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत हैं जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ आइसक्रीम (**Habtiz**) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 18.05.2017 को मौके पर की गई। दस्तावेज मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.05.2017 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ आइसक्रीम (**Habtiz**) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AF-949** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 88 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AF-949** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 19.05.2017 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(**ii**) एवं 2.4.1(10)(**iii**) के संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर के पत्रांक/जोन/**FSSA**/2017/1154 दिनांक 11.09.2018 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 280/ACT/2017/287 Dated 31-05-2017** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 280/ACT/2017/287 Dated 31-05-2017** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Report LS 280/ACT/2017/287 Dated 31-05-2017
Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Ashok Kumar Gupta, Food Safety Officer Zone Udaipur, a sample of Ice Cream (Habitz –Loose) bearing code no, and serial no. AF- 949 of Designated officer of Chittorgarh on 19-05-2017 for analysis.
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No. 88 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.
I found the sample to be Dairy Based Dessert/Confection falling under Regulation No. 2.1.7.1 Ice Cream आइसक्रीम of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 30-05-2017 to 31-05-2017 and the result of its analysis is given below-
ANALYSIS REPORT --
(i)Sample description:- The Sample contained in a wide mouth glass jar.
(ii)Physical appearance:- Whitish in color, homogeneous loquid at room temperature.
(iii) Label :-- Loose sample Brand Habitz, Name of Article Ice Cream, Mfg. – At Jaipur, Batch No. - 177

Opinion:- The sample of Ice Cream (Habitz – Loose) Bearing code no, and serial no. AF-9549 of Designated officer (Food Safety) Zonal level Designated officer Cum Dy. Director (Zone) Medical & Health Services, zone Udaipur, Is sub-standard as Milk Protein is does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 88 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 30.05.2017 से 31.05.2017 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Dairy Based Dessert/Confection falling under Regulation No. 2.1.7.1 Ice Cream आइसक्रीम of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. Ice Cream (Habitz – Loose) Bearing code no, and serial no. AF-9549 of Designated officer (Food Safety) Zonal level Designated officer Cum Dy. Director (Zone) Medical & Health Services, zone Udaipur, Is sub-standard as Milk Protein is does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐ, जोन उदयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AF-949** खाद्य पदार्थ आइसक्रीम (**Habtiz**) सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2017/1154 दिनांक 27.06.2017 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। नमूने की जांच रिपोर्ट एवं प्रकरण में किये गये अनुसंधान के आधार पर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐ, जोन उदयपुर द्वारा पत्रांक/जोन/एफएसएसए/2018/780 दिनांक 11.04.2018 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :—

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

(i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;

(ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and

(iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.
- (2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–
  - (a) Supplied after the date of its expiry; or
  - (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
  - (c) Unsafe or misbranded; or
  - (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
  - (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
  - (f) received by him with knowledge of being unsafe.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
- (a) sold after the date of its expiry; or
- (b) handled or kept in unhygienic conditions; or
- (c) misbranded; or
- (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
- (e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 शंकरसिंह राठौड पुत्र विजय सिंह राठौड, उम्र 29 वर्ष जाति राजपूत विक्रेता मैसर्स श्रीनाथ फूड, 37 प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थाई पता गांव पोस्ट निम्बाहेडा जाटान, वार्ड नंबर 02 रेगर मौहल्ला, तहसील राजाजी का करेडा, जिला भीलवाडा राजस्थान एवं अप्रार्थी संख्या 2 मुकेश कुमार हेडा पुत्र राधेश्याम हेडा, मालिक मैसर्स श्रीनाथ फूड, 37 प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई पता 3, 4 जवाहर नगर, चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई हैं, जिससे विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री शंकरसिंह राठौड पुत्र विजय सिंह राठौड, उम्र 29 वर्ष जाति राजपूत विक्रेता मैसर्स श्रीनाथ फूड, 37 प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थाई पता गांव पोस्ट निम्बाहेडा जाटान, वार्ड नंबर 02 रेगर मौहल्ला, तहसील राजाजी का करेडा, जिला भीलवाडा राजस्थान को रूपये 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र एवं अभियुक्त संख्या 2 मुकेश कुमार हेडा पुत्र राधेश्याम हेडा, मालिक मैसर्स श्रीनाथ फूड, 37 प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई पता 3, 4 जवाहर नगर, चित्तौड़गढ़ को रूपये 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र अर्थात कुल शास्ति रूपये 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>11.08.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़